अतिआवश्यक

यू. ओ. नोट

विषयः– निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जॉच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण, ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– इस शाखा का पत्रांक 1518–19 दिनांक 27.06.2019, 2020–22 दिनांक 18.07.2019, 4974–92 दिनांक 10.10.2019, 7589–7615 दिनांक 19.12.2019, 1252 दिनांक 26.02.2020, 2597–2602 दिनांक 22.07.2020, 3245–69 दिनांक 19.08.2020 एवं 3343–78 दिनांक 21.08.2020 तथा संयुक्त शासन सचिव, महोदय, कृषि (ग्रुप–1) का पत्र दिनांक 29.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 30.06.2020 में प्रमुख शासन सचिव महोदय, द्वारा आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें लम्बी अवधि से नहीं होने से गंभीरता से लिया है, साथ ही बकाया आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में आपकी शाखा से संबंधित बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालनायें भिजवाने हेतु पूर्व में भी समय समय पर पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे गये है। किन्तु बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें, निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार (आक्षेपानुसार) नहीं भिजवायी जाकर प्रायः पूर्व की प्रेषित अपूर्ण अनुपालनाओं की फोटोप्रतियॉ ही बिना हस्ताक्षर के, बिना नवीनतम स्थिति के साथ बिना प्रमाणित साक्ष्यों के भिजवायी जा रही है। जिससे आक्षेपों का निस्तारण नहीं हो रहा है। इस क्रम में निदेशक निरीक्षण विभाग से कैम्प आयोजित कराने से पूर्व दिनांक 24.08.2020 से दिनांक 08.09.2020 तक संबंधित शाखा प्रभारियों के साथ भी व्यक्तिशः बकाया आक्षेपों पर बैठक कर चर्चा की गयी है। इसके बावजूद भी वांछित प्रगति नहीं हो सकी। जो खेद्‌जनक है तथा आपकी उदासीनता का द्योतक है, यह स्थिति उक्त कार्य को आपकी प्राथमिकता में शामिल नहीं होना प्रदर्शित करती है। पैरा निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने से ऑडिट समिति की आयोजित बैठकों में प्रकरण को उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इस संबंध में आक्षेपों की अनुपालना हेतु वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग से भी लगातार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

अतः कृपया आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी/आक्षेपानुसार पूर्ण, ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों एवं प्रमाणकों सहित अविलम्ब 2 प्रतियों में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। ताकि श्रीमान आयुक्त महोदय के कक्ष में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की पालनाओं पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन करवाया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

....

Kureshi ji_98

Rachna ji

यू.ओ.नोट क्रमांक प. 3(IV) / आ.कृ / लेखा / आ.जा.प्र. / 2014-15 / 4004-29 दिनांक 15/09/20

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) निजी सचिव – श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, महोदय, कृषि (ग्रुप–1) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

(2) निजी सचिव – आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राज0, जयपुर।

(3) अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) मुख्यालय, जयपुर ।

(4) अतिरिक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान) नोडल अधिकारी (सीएजी, पीएसी) मुख्यालय, जयपुर।

(5) संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।

(6) एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि

Kureshi ji_99